यमुना जल को ज़हरीला बताने के विरुद्ध मामला दर्ज

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार ने राजनीतिक पार्टी के नेता के विरुद्ध सोनीपत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में [आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005]() के तहत मामला दर्ज किया, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि हरियाणा से आने वाले [यमुना के जल में "ज़हर"]() है।

मुख्य बिंदु

- **शिकायत दर्ज की गई:**
- **धारा 54, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005: आपदाओं के संबंध में गलत चेतावनी देने पर सज़ा (1 वर्ष** तक की **कैद या जुर्माना)**।
- **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 353 और 356:** सार्वजनिक शरारत और मानहानि।
- **भारत निर्वाचन आयोग की संलिप्तता:** [भारत निर्वाचन आयोग]() ने दावे के संबंध में तथ्यात्मक और कानूनी आधार मांगते हुए साक्ष्य मांगे।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

- **परिचय:**
  - **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** को भारत सरकार ने **वर्ष 2005 में आपदाओं और इससे जुड़े अन्य मामलों के** कुशल [प्रबंधन]() **के लिये पारित किया था। हालाँकि, यह जनवरी 2006** में लागू हुआ।
- **उद्देश्य:**
  - **आपदाओं का प्रबंधन करना,** जिसमें **शमन रणनीतियों** की तैयारी, **क्षमता निर्माण शामिल है।**
    - **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** की **धारा 2 (D)** में **"आपदा"** की परिभाषा यह है कि आपदा का अर्थ है "किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होने वाली **तबाही, दुर्घटना, विपत्ति या गंभीर घटना।**"
- **अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **नोडल एजेंसी:** अधिनियम **गृह मंत्रालय को** समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के संचालन के लिये **नोडल मंत्रालय** के रूप में नामित करता है।
  - **संस्थागत संरचना: यह राष्ट्रीय, राज्य** और **ज़िला स्तर** पर **संस्थाओं की** एक व्यवस्थित संरचना स्थापित करता है।
  - **राष्ट्रीय स्तर की महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ:**
    - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA):** इसका कार्य आपदा प्रबंधन नीतियाँ बनाना तथा समय पर एवं प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित करना है।
    - **राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC):** इसका गठन अधिनियम की **धारा 8 के तहत** [राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण]() को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिये किया गया है।
      - NEC पूरे देश के लिये **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना** तैयार करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार है कि इसकी वार्षिक समीक्षा की जाए तथा इसे अद्यतन किया जाए।
    - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM):** यह प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिये प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रमों हेतु एक संस्थान है।
    - **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF):** यह प्रशिक्षित पेशेवर इकाइयों को संदर्भित करता है जिन्हें आपदाओं के लिये विशेष प्रतिक्रिया के लिये बुलाया जाता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/case-filed-against-poison-remark-on-yamuna-water